


उत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
दाऊ कल्याण सिंह भवन-रायपुर

क्रमांक 6373/1631/20/2002

रायपुर, दिनांक 27.12.02



प्रभारी संचालक,  
राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं  
प्रशिक्षण परिषद, उ. ग. रायपुर ।

विषय:- राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का विभागीय सेटअप ।

राज्य शासन द्वारा राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद  
उ. ग. रायपुर को पद संरचना निम्नानुसार अस्थायी रूप से दिनांक 28.2.2003  
तक स्वीकृत किया जाता है:-

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत संख्या	वेतनमान	रिमांड
01.	02.	03.	04.	05.
1.	संचालक	1	14300-18300	क्र. 1 से 8 तक का लेखा शीर्ष मार्ग संख्या-27-
2.	संबुद्ध संचालक	1	12000-16500	स्कूल शिक्षा 2202
3.	प्राध्यापक	3	10000-15200	सामान्य शिक्षा 02
4.	सहायक प्राध्यापक	13	8000-13500	माध्यमिक शिक्षा 101
5.	व्याख्याता	9	5500-9000	राज्य आयोजना सामान्य 105
6.	सहायक अधीक्षक	1	4500-7000	शिक्षकों का प्रशिक्षण 3694 राज्य शैक्षिक अनु. एवं प्रशिक्षण परिषद एवं एन. सी. ई. आर. टी. का पुनर्गठन आयोजनेत्तर के अंतर्गत विकल्पित पर
7.	सहायक सॉफ्टवेयर अधिकारी	1	5500-9000	प्रतिनियुक्ति पर
8.	लाइब्रेरियन	1	4500-7000	
9.	लेखाधिकारी	1	8000-13500	प्रतिनियुक्ति पर
10.	शीघ्रलेखक ग्रेड-3	2	4500-7000	क्र. 9 से 25 तक लेखा शीर्ष मार्ग संख्या 27
11.	लेखापाल	2	4000-6000	स्कूल शिक्षा 2202 सामान्य शिक्षा 101
12.	सहायक वर्ग-2	3	4000-6000	राज्य आयोजना सामान्य 105
13.	सहायक ग्रेड-3	6	3050-4590	शिक्षकों का प्रशिक्षण 3694 राज्य शैक्षिक अनु. एवं प्रशिक्षण संस्थान
14.	स्टेनो टायपिस्ट	3	3050-4590	

SECRET

11.02  
जी. निमजे



01.	02.	03.	04.	05.
15.	डाटा रन्ट्री आबरेटर	2	3050-4590	
16.	बाहन चालक	1 ✓	3050-4590	
17.	चौकीदार	2	2550-3200	
18.	भूतब	5	कलेक्टर दर	

//प्रकाशन प्रकोष्ठ//

19.	संबुक्त सुंचालक	1	12000-16500
20.	उप सुंचालक	1	10000-15200
21.	सहायक सुंचालक	1	8000-13500
22.	लेखापाल	1	4000-5000
23.	सहायक ग्रेड-2	3	4000-6000
24.	सहायक ग्रेड-3	5	3050-4590
25.	आक. निधि मृत्य	3	कलेक्टर दर


कुल- 72 पद

बद संरचना आदेश में निम्नानुसार शर्तें रहेंगी:-

1. सेवा भरती नियमों में आवश्यक संशोधन करा लिया जावेगा ।
2. सभी पद अस्थायी होंगे ।
3. बद संरचना के अंतर्गत उपलब्ध रिक्त पद तब तक नहीं भरे जायेंगे जब तक इस हेतु बिलत विभाग से मृत्य से छूट प्राप्त नहीं कर लिया जावे ।
4. चतुर्थ श्रेणी के कोई भी बद आकस्मिकता कलेक्टर दर के बद सहित सीधी भरती से नहीं भरे जायेंगे । पद अतिशेष कर्मचारियों से ही भरे जायेंगे ।
5. दर्शाये गये सभी बेतनमान सही है, इस बात की बुद्धि कर ली गई है ।

बद स्वीकृति बिलत विभाग के मू.क्र. 405/24-1653/13-3/2002  
दिनांक 30-12-02 द्वारा महालेखाकार, छ.ग. रायपुर को बृष्ठांकित  
की गई है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
 27/1/02  
 रन्ट्री. म. म. आलवार



उत्तरीसंगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
घाऊ कलापरिसर भवन-रायपुर

क्रमांक Sec /7845/20/2004  
प्रति,

रायपुर, दिनांक 3/3/04  
12

संचालक,  
एस्.सी.ई.आर.टी.,  
रायपुर ।

विषय:- एस्.सी.ई.आर.टी. में मुद्रण सहा. ग्रेड-2 का पद निर्माण ।

राज्य शासन द्वारा एस्.सी.ई.आर.टी. के स्वीकृत पदों में से सहायक ग्रेणी-2 के वेतनमान 4000-6000 का एक पद समर्पित कर मुद्रण सहायक का एक पद उन्ही वेतनमान में निर्मित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

यह स्वीकृति वित्त विभाग के पृ.क्र. 98/SR 37/अज-31-पार/2004 दिनांक 11-3-04 द्वारा महालेखाकार, रायपुर को पृष्ठांकित की गई है ।  
उत्तरीसंगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

एस्.पी. दाण्डे

अवर सचिव  
उत्तरीसंगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृ.क्र. /7845/20/2004  
प्रतिलिपि:-

रायपुर, दिनांक

1. अवर सचिव, उ.ग. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय-रायपुर की ओर तीन अतिरिक्त प्रतियाँ सहित महालेखाकार, उ.ग. रायपुर की ओर पृष्ठांकित करने हेतु अग्रेषित ।
2. बोधालय अधिकारी, कोषालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ ।

अवर सचिव

उत्तरीसंगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

रायपुर

26/3

अवर सचिव  
उत्तरीसंगढ़ शासन  
कोषालय



छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
दाऊ कल्याणसिंह भवन-रायपुर

कमांक 906 / 103 / 20 / 2006  
प्रति,

रायपुर, दिनांक 25/2/06

संचालक,  
राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्,  
छ.ग.रायपुर ।

विषय:- प्रकाशन प्रकोष्ठ में आर्टिस्ट एवं कम्प्यूटर डिजाइनर के पद स्वीकृति करने की संबंध में ।

राज्य शासन एतद् द्वारा संचालक, एस.सी.ई.आर.टी. में स्वीकृत प्रकाशन प्रकोष्ठ के एक उप संचालक (वेतनमान 10,000-15,200) तथा एक सहायक श्रेणी-2 (वेतनमान 4000-6000) के पद को समर्पित करते हुए एक पद आर्टिस्ट तथा एक पद कम्प्यूटर डिजाइनर के पद की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

यह स्वीकृति वित्त विभाग के यू.ओ.नं. 89/4361/बजट-3/ दिनांक 16.2.2006

के द्वारा प्रदान की गई है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(एल.पी.दाण्डे)  
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग  
रायपुर, दिनांक 25/2/06

पृ.क. 907 / 103 / 2006 / 20  
प्रतिलिपि:-

1. सचिव, छ.ग.शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय-रायपुर,
  2. महालेखाकार, छ.ग.रायपुर,
  3. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, छ.ग.रायपुर,
  4. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, रायपुर ।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।



अवर सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग



छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
:: मंत्रालय ::  
महानदी भवन, नया रायपुर

// आदेश //

नया रायपुर, दिनांक 18/11/2014

एफ 23-09/2014/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, रायपुर में स्वीकृत दो संयुक्त संचालक के पदों में से एक पद को उन्नत (Upgrade) करते हुए एक अपर संचालक (Additional Director) का पद, वेतनमान 37400-67000, ग्रेड पे 8700, सृजन की स्वीकृति प्रदान करता है।

2/ उपरोक्त पद पर होने वाला व्यय मांग संख्या-27-स्कूल शिक्षा 2202 सामान्य शिक्षा (02) माध्यमिक शिक्षा 101 राज्य आयोजना (सामान्य) (105) शिक्षकों का प्रशिक्षण (3694) राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् एवं एस.सी.ई.आर.टी.का पुनर्गठन आयोजनैत्तर के अंतर्गत विकलनीय होगा।

3/ यह स्वीकृति वित्त विभाग के एफ-2014-20 -00217/बी-3/चार, दिनांक 22.04.2014 के द्वारा प्रदान की गई है।

(मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

(एम.एन.सजूरकर)

अवर सचिव


छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग  
नया रायपुर, दिनांक 18/11/2014

पृ. क्रमांक एफ 23-09/2014/20-3

प्रतिलिपि :-

01. विशेष सहायक, मान. मंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर,
02. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर,
03. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर,
04. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, रायपुर,
05. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इंद्रावती भवन, नया रायपुर,
06. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय-रायपुर,
07. आर्डर बुक,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।




E:\Letter Nimje.doc

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग





छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
दारु कल्याणसिंह भवन-रायपुर

कमांक 3698 / 2521 / 20 / 2005

रायपुर, दिनांक 3/9/05

प्रति,  
संचालक,  
राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्,  
छ.ग.रायपुर ।

विषय:- नवीन एवं उन्नयित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं के सेटअप की स्वीकृति ।

राज्य शासन पांच डी.टी.आई. महासमुंद, नगरी, जांजगीर-चांपा, जशपुर एवं कांकेर को डाईट में उन्नयन एवं चार नवीन डाईट कवीरधाम, दक्षिण बस्तर, कोरबा एवं कोरिया में खोलने हेतु निम्नानुसार अस्थायी पद स्वीकृत किया जाता है:-

स.क.	पदनाम	वेतनमान	पद संख्या
1	प्राचार्य	10000-15200	9
2	उप प्राचार्य	8000-13500	9
3	ब्याख्याता	5500-9000	135
4	सहायक प्रोग्रामर	5000-8000	9
5	छात्रावास अधीक्षक	5000-8000	9
6	सहायक ग्रन्थपाल	4500-7000	9
7	सहायक ग्रेड-1	4500-7000	9
8	शीघ्रलेखक ग्रेड-3	4500-7000	9
9	सहायक ग्रेड-2	4000-6000	18
10	सहायक शिक्षक विज्ञान	4000-6000	18
11	डाटा इन्ट्री आपरेटर	3500-5200	9
12	सहायक ग्रेड-3	3050-4590	54
13	भृत्य (आकस्मिक निधि)	कलेक्टर दर	36
14	चौकीदार (आकस्मिक निधि)	कलेक्टर दर	18
कुल			351



2/- पदों का संख्यावार विवरण निम्नानुसार है:-

क.	पदनाम	वेतनमान	संस्था का नाम									कुल
			महासमुंद	नगरी	जाजगीर —चांपा	जशपुर	कांकेर	कबीरघाम	दक्षिण बस्तर	कोरवा	कोरिया	
1.	प्राचार्य	10000-15200	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
2.	उप प्राचार्य	8000-13500	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
3.	व्याख्याता	5500-9000	15	15	15	15	15	15	15	15	15	135
4.	सहायक प्रोग्रामर	5000-8000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
5.	छात्रावास अधीक्षक	5000-8000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
6.	सहायक ग्रन्थपाल	4500-8000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
7.	सहायक ग्रेड-1	4500-8000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
8.	शीघ्रलेखक ग्रेड-3	4500-8000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
9.	सहायक ग्रेड-2	4000-6000	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18
10.	सहायक शिक्षक विज्ञान	4000-6000	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18
11.	डाटा इन्ट्री आपरेटर	3500-5200	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
12.	सहायक ग्रेड-3	3050-4590	6	6	6	6	6	6	6	6	6	54
13.	भृत्य (आक.निधि)	कलेक्टर दर	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
14.	घौकीदार (आक.निधि)	कलेक्टर दर	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18
कुल			39	39	39	39	39	39	39	39	39	351

3/- पद संरचना आदेश में निम्नानुसार शर्तें रहेगी:-

1. सभी पद अस्थायी होंगे ।
2. चतुर्थ श्रेणी के कोई भी पद आकस्मिकता (कलेक्टर दर) के पद सहित सीधी भरती से नहीं भरे जावेंगे । पद अतिशेष कर्मचारियों से ही भरे जायेंगे ।

4/- इन पदों को भरने हेतु वित्त विभाग से अलग से सहमति प्राप्त की जानी है । इन्हें संस्थाओं की पद स्वीकृति के समस्त पूर्व आदेश निरस्त माने जावेंगे ।




निरंतर 3

..3..

5/- उपरोक्त व्यय मांग संख्या 27, स्कूल शिक्षा 2202 सामान्य शिक्षा (01) प्राथमिक शिक्षा (107) शिक्षकों का प्रशिक्षण 0101 केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य) 1502 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं के लिए मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए आयोजना के अंतर्गत विकलनीय होगा ।

6/- यह स्वीकृति वित्त विभाग के यू.ओ.नं. 435/1284/अ.3 दिनांक 1-9-05 के द्वारा प्रदान की गई है ।


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
(स.पी.दाण्डे)  
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग  
रायपुर, दिनांक

पृ.क. /2521/2005/20  
प्रतिलिपि:-

1. सचिव, छ.ग.शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय-रायपुर,
  2. महालेखाकर, छ.ग.रायपुर,
  3. सचिव छ.ग. शासन आनु.जाति अनु.जन जाति मंत्रालय रायपुर
  4. आयुक्त आनु.जाति अनु.जन जाति विभाग
  5. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, छ.ग.रायपुर,
  6. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद छत्तीसगढ़
  7. कलेक्टर, जिला.....
  8. प्राचार्य, डाईट.....
  9. प्राचार्य, बी.टी.आई.....
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

  
अवर सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग



छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय,  
दाऊ कल्याण सिंह भवन रायपुर

—0—

क्रमांक एफ 7-15/2010/20-एक  
प्रति,

रायपुर, दिनांक 12/5/10.

✓ संचालक,  
राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद,  
छत्तीसगढ़, रायपुर ।

● विषय :- राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एवं अधीनस्थ संस्थाओं में स्वीकृत पदों में संशोधन/उन्नयन बाबत।

—00—

राज्य शासन एतद् द्वारा राज्य के सभी 16 डाईट के व्याख्याताओं के वर्तमान भिन्न-भिन्न संरचना को समाप्त करते हुए सभी डाईट के लिये निम्नानुसार एक समान पद संरचना स्वीकृत की जाती है:-

क्र०	पदनाम	वेतन बैंड एवं ग्रेड पे	पदों की संख्या
1.	वरिष्ठ व्याख्याता	15600-39100+5400	05
2.	व्याख्याता	9300-34800+4300	12

उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप व्याख्याता के कुल 49 पद समर्पित होंगे।

2/ आंग्लभाषा के संदर्भ में अन्य राज्यों में क्या स्थिति है कि जानकारी उपलब्ध करावें।

3/ यह स्वीकृति वित्त विभाग के यू0ओ0क्रमांक 181/25193/वित्त विभाग/ब-3/2010, दिनांक 3.05.2010 द्वारा प्रदान की गई है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से


तथा आदेशानुसार

*(Signature)*

(विलियम कुजूर)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग





महाराष्ट्र शासन  
 विद्यापीठ विभाग  
 अहमदनगर

1/2/1

पृ०क्रमांक एफ 7-15/2010/20-एक  
 प्रतिलिपि:-

रायपुर, दिनांक .....

1. निज सहायक, मान० मंत्रीजी, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, रायपुर,
2. सचिव, छ०ग० शासन, वित्त विभाग मंत्रालय रायपुर,
3. सचिव, छ०ग० शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय रायपुर
4. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय रायपुर
5. कोषालय अधिकारी जिला कोषालय रायपुर।

उप सचिव  
 छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

1	00001-00000-00001	00000000000000000000
2	00001-00000-00001	00000000000000000000



Handwritten notes and signatures in the bottom right corner, including a date '01/02/2010' and some illegible text.



छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय,  
दारु कल्याण सिंह भवन रायपुर

=( ) =

क्रमांक एफ 7-15/20-एक/2010  
प्रति

रायपुर दिनांक 23/8/12

संचालक,  
राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद  
छत्तीसगढ़ रायपुर

विषय :- राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एवं अधीनस्थ संस्थाओं के लिए स्वीकृत पदों में संशोधन विषयक।

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक/स्थापन/डाइट/सेटअप/2012-13/2303  
रायपुर दिनांक 27.06.2012।

-----0-----

राज्य शासन एतद् द्वारा राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत (डाइट) जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में वरिष्ठ व्याख्याता के स्थान पर सहायक प्राध्यापक पदनाम में परिवर्तन की स्वीकृति प्रदान करता है।

2. यह स्वीकृति वित्त विभाग के यू.ओ.क्रमांक 313/1001048/वित्त विभाग/ब-3/2012 दिनांक 23.07.2012 द्वारा प्रदान की गई है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

*(Handwritten Signature)*

(एम. एन. राजूरकर)  
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग  
रायपुर, दिनांक

पृ. क्रमांक एफ 7-15/20-एक/2010  
प्रतिलिपि-


1. निज सहायक नान्नीय मंत्री जो स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय रायपुर छ.ग.
  2. प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर छ.ग.
  3. सचिव, छ.ग. शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय रायपुर छ.ग.
  4. आयुक्त लोक शिक्षण संचालन नय रायपुर छ.ग.
  5. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद छ.ग. रायपुर
  6. कोषालय अधिकारी जिला कोषालय रायपुर छ.ग.
- की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग

59/17  
23/08/2012  
11/9/12





दूरभाष नं. 0771-2443297 फ़ैक्स नं. 0771-2443596

Website : www.scert.cg.gov.in Email: scertcg@gmail.com

क्र./स्था. 1/डाइट/सेटअप/पद संशोधन/2012/3654 रायपुर दिनांक - 08 08 12  
प्रति,

प्राचार्य

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान.....

जिला.....

विषय:- जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में स्वीकृत अकादमिक पदों में संशोधन /  
उन्नयन बाबत।

संदर्भ:- छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन  
रायपुर के आदेश क्रं. एफ 7-15/2010/20-एक दिनांक 12.05.2010 एवं  
एफ 7-15/20-एक/2010 दिनांक 01.08.2012

छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, रायपुर के आदेश क्रं. एफ  
7-15/2010/20-एक दि.12.05.2010 द्वारा राज्य के सभी 16 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण  
संस्थान के व्याख्याताओं के वर्तमान भिन्न-भिन्न संरचना को समाप्त करते हुए सभी डाइट  
के लिए एक समान पद संरचना स्वीकृत की गई है तथा स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत  
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) के उक्त पद संरचना में वरिष्ठ व्याख्याता का  
पदनाम "सहायक प्राध्यापक" परिवर्तन की स्वीकृति आदेश क्रं. एफ 7-15/20-एक/2010  
दिनांक 01.08.2012 द्वारा प्रदान की गई है। इस प्रकार राज्य के सभी 16 डाइट में  
अकादमिक पदों हेतु निम्नानुसार पद संरचना होगी -

क्र.	पदनाम	वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन	पदों की संख्या
1.	प्राचार्य	15600-39100 + 6600/-	01
2.	उप प्राचार्य	15600-39100 + 5400/-	01
3.	सहायक प्राध्यापक	15600-39100 + 5400/-	05
4.	व्याख्याता	9300-34800 + 4300/-	12
	कुल पद		19

इन अकादमिक पदों के अलावा पूर्व सेटअप के शेष पद यथावत रहेंगे।

उपरोक्त पद संरचना के अनुसार डाइट के कार्यरत रिक्त एवं अतिरिक्त पदों  
की जानकारी नाम एवं विषय सहित शीघ्र परिषद् को भेजें।

संलग्न:-संदर्भित आदेशों की प्रति।

(अनिल राय)

संचालक

एस.सी.ई.आर.टी.



पृष्ठां.क्र./स्था. 1/डाइट/सेटअप/पद संशोधन/2012/3135, रायपुर दिनांक - 26-08-2012  
 प्रति,

1. निज सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, रायपुर।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, डी.के.एस.भवन रायपुर।
3. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ प्रेशन बाड़ा एकीकृत भवन रायपुर।
4. प्राचार्य, शासकीय शिक्षा महाविद्यालय रायपुर/बिलासपुर।
5. समस्त जिला कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़।

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

संचालक

ए.सी.ई.आर.टी.

क्र.सं.	नाम	पद
1	...	...
2	...	...
3	...	...
4	...	...

...






कार्यालय- प्राचार्य, शासकीय बुनियादी प्रशिक्षण

डोंगरगाँव, जिला- राजनांदगाँव (छ.ग.)

पत्र क्रमांक : स्था.प.स्वी.प.सं.अं./2004/..... 131



प्रति,

संचालक  
छ.ग. राज्य स्तरीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, शंकरनगर शम्भुपुर (छ.ग.)

विषय :- संस्थागत पद संरचना [सेटअप] आदेश की ह्यायाप्रति एवं जानकारी विषय  
संदर्भ :- आपका पत्र क्र. स्था. 0-1/स्वी. पद संर. आदेश/2004/902 रायपुर दिनांक 05/05/04  
उपरोक्त संदर्भित विषयानुसार शास. बुनि. प्रशि. संस्था डोंगरगाँव में वर्तमान लागू पद संरचना [सेटअप] निम्नानुसार स्वीकृत है। आदेश की ह्यायाप्रतियाँ जो कार्यालय में उपलब्ध हैं, संलग्न हैं। शेष बाँधित जानकारी कार्यालयीन अभिलेख के आधार पर तैयार कर आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित।

सं. क्र.	पद नाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	आदेश क्रमांक
1.	प्राचार्य	01	01	-	Vide E.D. memo NO. 15413/3185/XX
2.	व्यारुधाला	06	02	04	IV - Inty. dated 18.10.62 Above - & 44/10/75 E
3.	शिक्षक	02	02	-	2/20/A Bhopal dated 03-7-75 vide E.D. memo No. 15413/3185/XX - IV - Inty. dated 18.10.62
4.	व्यायाम निर्देशक	01	01	-	- Above -
5.	तबला शिक्षक	01	01	-	- do -
6.	संगीत शिक्षक	01	01	-	- do -
7.	लेखापाल	01	01	-	- do -
8.	सहा. लिपिक	01	01	-	- do -
9.	कुरीश	01	01	-	- do -
10.	भृत्य	01	01	-	- do -
11.	चौकीदार	01	01	-	- do -
12.	विज्ञान परिचारक	01	00	01	NO. 1629/199/20.3.68 Bhopal dt. 18.11.61
13.	आकस्मिक निधि भृत्य	15	03	12	Vide Ed. Deptt. M.P. Govt. स्था. 73/12/78B-2/20 Bhopal dated 16.5.80.

संलग्न -

① उपलब्ध कार्यालयीन आदेश की फोटोकॉपी  
ह्यायाप्रतियों में।

दिनांक  
5/12/04

21. E.Ram  
(एस. रामकल) 16.3.04  
पत्रांक

शासकीय बुनियादी प्रशिक्षण संस्था,  
डोंगरगाँव, जिला- राजनांदगाँव (छ.ग.)



मध्यप्रदेश शासन, शिक्षा विभाग

क्रमांक स्पा० ७३-१२। ७८ वी-२। २०।

भोपाळ, दिनांक १६ मई १९८०

प्रति,

संलग्नक लोक शिक्षाण  
मध्यप्रदेश, भोपाळ।

विषय :- छात्रावासों में १५ प्रतिशत भृत्य रखने की स्वीकृति।

सन्दर्भ :- संलग्नक लोक शिक्षाण का ज्ञाप क्रमांक यो०का०।घ। ८०।३। ५८२ दिनांक १६-३-१९८०।

-०-

राज्य शासन समस्त शासकीय बुनियादी प्रशिक्षण संस्थाओं के संलग्न छात्रावासों में भृत्यों की संख्या १५ अथवा छात्रावासों में प्रवेश प्राप्त छात्रों की संख्या का १५ प्रतिशत जो भी कम हो, रखने की स्वीकृति प्रदान करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार -  
हस्ताक्षर - हिन्दी में अस्पष्ट  
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, शिक्षा विभाग  
भोपाळ, दिनांक मई १९८०

पृष्ठांक क्रमांक स्पा० ७३-१२। ७८ वी-२। २०।

प्रतिष्ठित, महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वाल्हियर की ओर सूनार्थ अर्पित।

हस्ताक्षर - अस्पष्ट  
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, शिक्षा विभाग

लोक शिक्षाण संचालनालय  
मध्यप्रदेश

पृष्ठांक क्रमांक यो०का०।घ। ८०।३। १०३० भोपाळ, दिनांक २२ मई १९८०

प्रतिष्ठित :-

- १:- समस्त संगणकीय शिक्षाण अधीक्षक, मध्यप्रदेश।
  - २:- समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश।
  - ३:- समस्त, प्राचार्य, शासकीय बुनियादी प्रशिक्षण संस्था, मध्यप्रदेश।
- की ओर सूनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अर्पित।

संचालन  
२१-५-८०

क्रमांक - संलग्नक लोक शिक्षाण  
मध्यप्रदेश



कमांक/एफ 6-1/20/04  
प्रति.

रायपुर, दिनांक 17-9-04

संचालक  
राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद  
छत्तीसगढ़ रायपुर


विषय : सीमेंट के गठन के संबंध में ।

राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में राज्य अनुसंधान एवं शैक्षणिक प्रबंधन संस्था (स्टेट इस्टीट्यूट आफ एजुकेशनल मैनेजमेंट एवं ट्रेनिंग) (सीमेंट) की स्थापना का निर्णय लिया गया है । इस हेतु निम्नानुसार अस्थाई पद निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

कमांक पद	वेतनमान	संख्या	रिमार्क
1. प्राध्यापक	12000 - 16500	3	
2. सहा. प्राध्यापक	10000 - 15200	3	
3. सहा. प्राध्यापक	8000 - 13500	3	
4. कम्प्यूटर प्रोग्रामर	8000 - 13500	1	
5. वित्त अधिकारी	8000 - 13500	1	राज्य वित्त सेवा से प्रतिनियुक्ति पर
6. सहा. ग्रंथपाल	4000 - 6000	1	
7. लेखापाल	4000 - 6000	1	
8. तकनीकी सहा. प्रशिक्षक	4000 - 6000	1	
9. डाटा इनट्री आपरेटर	3500 - 5200	2	
10. सहा. ग्रेड-3	3050 - 4590	1	
11. केयर टेकर	कलेक्टर दर	1	
12. भृत्य	कलेक्टर दर	3	
कुल		21	

उपरोक्त पद संरचना निम्न शर्तों के अधीन स्वीकृत किया जाता है ।

1. पद संरचना के अंतर्गत उपलब्ध रिक्त पद तब तक नहीं भरे जायेंगे जब तक इस हेतु वित्त विभाग से पृथक से छूट प्राप्त नहीं कर ली जावे ।
2. दर्शाये गये वेतनमान सही है इस बात की पूर्ष्टि कर ली गई है ।





2

उक्त व्यय मांग संख्या 27 स्कूल शिक्षा 2202 सामान्य शिक्षा (02) माध्यमिक शिक्षा 105 शिक्षकों का प्रशिक्षण 0401 राज्य आयोजना (सामान्य) (5569) सीमेंट का गठन आयोजना में विकलनीय होगा ।

यह स्वीकृति वित्त विभाग के पृष्ठांकन क्रमांक ..... दिनांक 22 SEP 2004 द्वारा महालेखाकार छ.ग. रायपुर को पृष्ठांकित की गई है ।

456/SR-196/31/DR/04

छत्तीसगढ़ के राज्य पाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार


( एल.पी.दाण्डे )  
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग

पृष्ठा.क्रमांक/एफ 6-1/20/04  
प्रतिलिपि :

रायपुर, दिनांक 17/9/04

1. सचिव छ.ग. शासन वित्त विभाग रायपुर की ओर महालेखाकार छ.ग. को पृष्ठांकित करने हेतु अतिरिक्त तीन प्रतियों सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
2. संचालक लोक शिक्षण रायपुर
3. संचालक राजीव गांधी शिक्षा मिशन रायपुर
4. जिला कोषालय रायपुर

  
अवर सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग



**छत्तीसगढ़ शासन**  
**स्कूल शिक्षा विभाग**  
**मंत्रालय**  
**दाऊ कल्याण सिंह भवन-रायपुर**

कमांक एफ 7-20//2012/20-एक  
प्रति,

रायपुर, दिनांक 10/11/12

✓ संचालक,  
राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्,  
छत्तीसगढ़, रायपुर ।

विषय:-सीमेट (एस.सी.ई.आर.टी.) के पद संरचना में स्वीकृत केयर टेकर एवं भृत्य के कलेक्टर दर के पदों को नियमित वेतनमान के पद घोषित करने बाबत ।

—00—

राज्य शासन एतद् द्वारा विभागीय आदेश कमांक एफ 6-1/20/04, दिनांक 17.09.2004, के द्वारा सीमेट (एस.सी.ई.आर.टी.) के पद संरचना में कलेक्टर दर पर स्वीकृत केयर टेकर एवं भृत्य के पदों को आकस्मिकता स्थापना में परिवर्तन की स्वीकृति प्रदान करता है ।

2/ यह स्वीकृति वित्त विभाग द्वारा यू.ओ. कमांक 279/100/200/वित्त विभाग/ब-3/2012, दिनांक 04.07.2012 द्वारा प्रदान की गई है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

(एम.एन. प्रजूरकर)  
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग  
रायपुर, दिनांक

पृ० कमांक एफ 7-20/2012/20-एक  
प्रतिलिपि:-

- (1) विशेष सहायक, मान. मंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन ।
- (2) प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर ।
- (3) महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
- (4) कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, रायपुर ।

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

B. Com. Letter

11/12/12



①

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय

दाउ कल्याणसिंह भवन-रायपुर

कमांक 1665/423/20/05  
प्रति,

रायपुर, दिनांक 25/4/05

संचालक,  
राज्य शैक्षिक अनुसंधान और  
प्रशिक्षण परिषद, रायपुर ।

विषय:- आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान (ईएलटीआई) के पदों की संरचना के संबंध में ।

राज्य शासन द्वारा एस.सी.ई.आर.टी. के अन्तर्गत आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान (ई.एल.टी.आई.) रायपुर की स्थापना हेतु निम्नानुसार अस्थाई पद के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क.	पद	वेतनमान	संख्या
1.	सहायक प्राध्यापक	8000-13,500	01
2.	व्याख्याता	6500-10500	02
3.	सहायक ग्रेड-2	4000-6000	01
4.	सहायक ग्रेड-3	3050-4590	01
5.	डाटा एन्ट्री आपरेटर	3050-5200	01
6.	भृत्य	कलेक्टर दर	02
योग-			08

उपरोक्त पद संरचना निम्न शर्तों के अधीन स्वीकृत किया जाता है:-

1. सहायक प्राध्यापक, व्याख्याता, सहायक ग्रेड-2 एवं सहायक ग्रेड-3 के पद प्रतिनियुक्ति से भी भरे जायेंगे ।
2. डाटा एन्ट्री आपरेटर के पद की पूर्ति छत्तीसगढ़ (संविदा) नियुक्ति नियम 2004 के प्रावधानों के अनुसार की जायेगी ।
3. उक्त व्यय मांग संख्या 27 स्कूल शिक्षा 2202 सामान्य शिक्षा (02) माध्यमिक शिक्षा 105 शिक्षकों का प्रशिक्षण 0101 राज्य आयोजना (सामान्य) (5647) राज्य स्तरीय अंग्रेजी प्रशिक्षण संस्थान का गठन आयोजना में विकलनीय होगा ।

यह स्वीकृति वित्त विभाग के यू.ओ.नं. 238/675/बजट-3/चार दिनांक 21.4.2005 के द्वारा प्रदान की गई है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(एम.एस.पेकरा)  
संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

निरंतर-2

सिद्धांत

25/4  
वि.क.सि.स. 25/4/05



छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय,  
दाऊ कल्याण सिंह भवन रायपुर  
===0===

क्रमांक एफ 1- 130 /2010/20-एक

रायपुर, दिनांक 27.10.2010

प्रति,

✓ संचालक,  
राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद,  
रायपुर छ0ग0।

विषय:- राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रायपुर हेतु  
अतिरिक्त पदों की स्वीकृति।


उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य शासन द्वारा राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं  
प्रशिक्षण परिषद रायपुर (ई0एल0टी0आई) हेतु अस्थाई रूप से दो सहायक प्राध्यापक  
के पद निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2/ यह स्वीकृति वित्त विभाग के यू0ओ0क0 367/30658/ब-3/2010/  
दिनांक 27.10.2010 द्वारा प्रदान की गई है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(अरुण कुमार सिंह)  
अवर सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग





छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
दाऊ कल्याणसिंह भवन-रायपुर

कमांक 906 / 103 / 20 / 2006  
प्रति,

रायपुर, दिनांक 25/2/06

संचालक,  
राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्,  
छ.ग.रायपुर ।

विषय:- प्रकाशन प्रकोष्ठ में आर्टिस्ट एवं कम्प्यूटर डिजाइनर के पद स्वीकृति करने की संबंध में ।

राज्य शासन एतद् द्वारा संचालक, एस.सी.ई.आर.टी. में स्वीकृत प्रकाशन प्रकोष्ठ के एक उप संचालक (वेतनमान 10,000-15,200) तथा एक सहायक श्रेणी-2 (वेतनमान 4000-6000) के पद को समर्पित करते हुए एक पद आर्टिस्ट तथा एक पद कम्प्यूटर डिजाइनर के पद की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

यह स्वीकृति वित्त विभाग के यू.ओ.नं. 89/4361/बजट-3/ दिनांक 16.2.2006

के द्वारा प्रदान की गई है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(एल.पी.दाण्डे)  
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग  
रायपुर, दिनांक 25/2/06

पृ.क. 907 / 103 / 2006 / 20  
प्रतिलिपि:-

1. सचिव, छ.ग.शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय-रायपुर,
  2. महालेखाकार, छ.ग.रायपुर,
  3. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, छ.ग.रायपुर,
  4. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, रायपुर ।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।



अवर सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग



Copy of Education Department memo No. 15441/3186/XX-IV  
Integ. dated the 18th Oct. 1962 addressed to the Director  
of Public Instruction, M.P., Bhopal.

....

Subject:- Set-up of the staff for the post Graduate  
Basic Training Colleges, M.P.

....

Government are pleased to sanction the set-up  
of the staff for the Post Graduate Basic Training Colleges  
as shown in annexure 'A' and the creation posts as shown  
in annexure 'B' .

2/ All permanent posts in column 3 of the annexure 'B'  
will be deemed to have been created with effect from the  
1st November 1956.

3/ The posts shown in annexure 'B' shall be deemed to  
have been created in the unified scales with effect from  
the 1st April, 1958, provided that in the case of employees  
or categories of employees specified in an order issued  
by the State Government under the proviso to rule (2)  
of the M.P. Unification of Pay scales and fixation of pay  
on absorption Rules, 1959, the posts held by them shall  
be deemed to have been created in the unified scales with  
effect from such earlier date as may be fixed by the  
State Government for the coming into force of the said rule.

4/ All previous orders in so far as they relate to  
the set-up of the staff for the P.G.B.T. Colleges issued  
by the erst-while Governments of the constituent units  
in respect of the creation and continuance of posts in  
their jurisdiction which have not ceased to exist under  
section 116 of the State Re-organisation Act, 1956, or  
were not abolished and also all orders issued after the  
re-organisation in respect of posts which have ceased to  
exist under the said section of the State Re-organisation

*Handwritten notes on the left margin:*  
10.11.62  
Bhopal  
re-calculated  
11/11/62  
16/11  
12/11  
13/11  
14/11  
15/11  
16/11  
17/11  
18/11  
19/11  
20/11  
21/11  
22/11  
23/11  
24/11  
25/11  
26/11  
27/11  
28/11  
29/11  
30/11



Re-organisation act shall stand up superseded with effect from 1-11-1956. Further, these orders shall not affect the pay etc., drawn by the persons concerned prior to the issue of orders of absorption or in their pay scales except in the manner and to the extent permissible in accordance with the provisions contained in the M.P. Unification of pay scales and fixation of pay on absorption rule, 1959. No appointments and promotions to or confirmations against any post sanctioned in the set-up made with retrospective effect.

5/ Further necessary action may please be taken accordingly.

By order and in the name of the  
Governor of Madhya Pradesh.

Sd/- K.P. Shrivastava,  
Under Secretary to Government,  
Madhya Pradesh,  
Education Department.

Endt. No. 15412/3186/XX-IV/Integ. Bhopal, dated 18th Oct. 62.

Copy with a spare copy forwarded to the Finance Department, Bhopal for information and communication to the Accountant General, M.P, Nagpur.

Sd/- K.P. Shrivastava,  
UNDER SECRETARY TO GOVT.

OFFICE OF THE DIRECTOR OF PUBLIC INSTRUCTION,  
Madhya Pradesh.

Endt. No. Set-up-1962-Misce, 21 Bhopal, dated the 9th Nov. 62

Copy of Education Department memo No. 15411/3186/XX-IV/Integ., dated 18-10-1962, is forwarded to:-

1. All the Principals, of Post Graduate Basic Training Colleges, Madhya Pradesh.
2. All Head-quarters Officers.
3. All Heads of concerning sections, D.P.I., office.

for information and necessary action.

2/ Collegewise distribution of the staff provided in the new set-up is enclosed vide annexure 'C'.

✓  
K. K. K.

*[Handwritten signature]*



ANNEXURE 'A'  
STATEMENT SHOWING THE STRUCTURE AND STRENGTH OF THE  
SET UP OF THE STAFF FOR THE P.G.B.T. COLLEGE  
IN M.DHY. PR.DESH.

<u>S.No.</u>	<u>Designation</u>	<u>Strength Sanctioned</u> <u>No. of posts</u>	<u>Class</u>
<u>GAZETTED POSTS.</u>			
1.	Principal	11	I
2.	Professors	30	I
3.	Asstt. Professors	60	II
4.	Lecturers	49	II
<u>NON GAZETTED POSTS.</u>			
<u>Class III - Teaching.</u>			
5.	Teachers of Instructors	68	III
<u>Class III - Ministerial</u>			
6.	Librarian.	11	III
7.	Head Clerks	11	III
8.	Accountant.	8	III
9.	Lower Division Clerks.	19	III
<u>Class IV</u>			
10.	Lab. and Craft attendants	38	IV
11.	Peons.	41	IV
12.	Farrashes	11	IV
13.	Chowkidars	11	IV

Sd/- K.P. Shrivastava.  
Under Secretary to Government.  
M.P., Education Department.

*Keftaris*  
*9.11.*

*50 Cof. 12*



(22)

ANNEXURE 'B'

S.No.	Classification of posts	Number		Total
		Perma.	Temporary	

G.ZETTED POSTS.

1.	Principal	11	-	11
2.	Professors.	30	-	30
3.	Asstt. Professors	60	-	60
4.	Lecturers	49	-	49

NON G.ZETTED

Class III - Teaching.

5.	Teachers & Instructors	68	-	68
6.	Librarian	11	-	11
7.	Head Clerk	11	-	11
8.	Accountants.	8	-	8
9.	Lower Division Clerks	19	-	19

Class IV.

10.	Lab. & Craft attendants	38	-	38
11.	Peons.	41	-	41
12.	Farrashes	11	-	11
13.	Chowkidars	11	-	11

Sd/- K.F. Shrivastava,  
Under Secretary to Govt.  
Madhya Pradesh.  
Education Department.

*Alhina*  
3.11



ANNEXURE 'C'

150-140

Name of the College	Class I		Class II		Class III		Class III		Class III		Class IV						
	Principal	Professor	Asst. Lect.	Teachers & Inst.	Lib.	H.C.	L.D.C.	Lab.	Att.	ons	shas	kidar					
F.G.B.T., Bhopal	1	3	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
-do-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
-do-	1	3	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
-do-	1	3	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
-do-	1	3	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
F.S.M., Jabalpur	1	3	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
F.G.B.T., Khandwa	1	3	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
-do-, Rewa	1	3	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
-do-, Raipur	1	3	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
-do-, Sagar	1	3	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
-do-, Ujjain	1	3	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
<b>Total</b>	<b>11</b>	<b>30</b>	<b>49</b>	<b>68</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>19</b>	<b>38</b>	<b>41</b>	<b>11</b>	<b>11</b>					

*S. B. Ladge*  
for Director of Public Instruction,  
Madhya Pradesh.

*1-1-1950*

*S. Sharma*

(23)



GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH  
EDUCATION DEPARTMENT

Memo No. 6347/239/XX-1 Bhopal, dt. the 9/6, 1966.

To

The Directors of Public Instruction,  
Madhya Pradesh, Bhopal.

Sub:- Creation of additional posts for P.G.B.T. Colleges at  
Sagar, Bilaspur and Gwalior.

Ref:- Your Note No. Trg/C/65/49, dated the 27th November, 1965, on  
Education Department file.

In order to cope with the increased work load, the State  
Government are pleased to accord sanction the creation of the  
following temporary posts for the P.G.B.T. College, Sagar, Bilaspur  
and Gwalior, with effect from the date of appointment upto 28th  
February, 1967.

- i/ 3 posts of Assistant Professors in the scale of Rs. 225x  
360-15-405-20-425-25-550-550-EB-25-700/- one post for  
each P.G.B.T. College.
- ii/ 6 posts of Lecturers in the scale of Rs. 275-275-300-15-405  
-EB-20-425-25-575/-. Two posts for each College.
- iii/ 3 Posts of Teachers/ Instructors in the scale of Rs. 150-  
150-5-150-6-190-EB-6-220-10-240-240-EB-12-290/-.  
Three posts for each College.
- iv/ 3 posts of Accountants in the scale of Rs. 115-220/-  
One for each College.
- v/ 3 posts of L.D.C. in the scale of Rs. 90-170/- one  
post for each College.
- xxxi/ vi/ 6 posts of Lab./Craft attendants in the scale of Rs. 70-96/-  
2 posts for each College.
- vii/ 3 posts of peons in the scale of Rs. 55-1-65/- one  
post for each College.

The expenditure on this account should be debited to the  
"head" Demand No. 24-Education 23-Education-Plan-A-University  
A-i-Government Professional Colleges-A-4(4)-Government Training

By order and in the name of the  
Governor of Madhya Pradesh.

Sd/- K.N. LOKRE  
Assistant Secretary to Government,  
Madhya Pradesh,  
Education Department.

No. 6948/239/XX-2 Bhopal, dated the 9/6/66.

Copy with one spare copy forwarded to the Finance Department,  
Madhya Pradesh, Bhopal, for information and communication to  
Accountant General, Madhya Pradesh, Gwalior.



ANNEXURE 'C'

College	Class I	Class II	Class III	Class III (Miscellaneous)	Class III (H.C. Acctt.)	Class IV
	Principal Pro- Less- Ors.	Asst. Prof.	Lect. Teaching Teachers & Inst.	Lib.	H.C. Acctt.	L.D.C. Lab. Books Fara- SOS KIDAR CHOW
Aspur	1	2	4	1	1	1
Matarpur	1	3	6	1	1	2
	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	1	3	6	5	7	8.
	1	2	4	3	4	9.
	1	3	6	5	7	10.
	1	2	4	3	4	11.
	1	3	6	5	7	12.
	1	2	4	3	4	13.
	1	3	6	5	7	14.
	1	2	4	3	4	15.
	1	3	6	5	7	
	1	2	4	3	4	
	1	3	6	5	7	
	1	2	4	3	4	

True-copy

Sd/-  
For Director of Public Instruction  
Madhya Pradesh.



Dated Bilaspur, the // // Dece., 62

My dear Shri. *W. J. G.*

Subject:- Appointment of additional staff as per set up of the staff of the P.G.B.T. Colleges.

A perusal of your office endt.No.Set-up-1962-Misc.21,dated 9-11-62 enclosing distribution of the staff provided in new set up vide annexure 'C' is requested.

Following posts under different class and categories have been sanctioned for the Govt.P.G.B.T.College,Bilaspur but revised scales of pay applicable could not be clearly known from the records available in this office.

(A) Class III-Teachers  
and  
Instructors .. 4

(B) Class III-Ministerial --  
Librarian 1  
Headclerk 1  
Laboratory  
Attendant 2

I shall be grateful if revised scale of pay applicable to each post is early communicated. It may kindly be further elucidated if appointments of suitable candidates available should be effected presuming that there exists necessary provision in the Budget or necessary supplementary provision could be made thereafter.

2. In case the posts (noted against item(A)/<sup>above</sup>) to be filled up carry higher scale of pay and thus beyond the competence of the Principal,P.G.B.T.College, I may request you for getting the orders expedited from your end so that the work of the college may not hamper and efficiency is maintained.



26

Express

D.O.No. 11624/  
Office of the Principal, Govt. P.G.B.T. College,  
Bilaspur

Dated Bilaspur, the 11/12/Dec., 62

My dear Shri. *Lalji*

Subject:- Appointment of additional staff as per set up of the staff of the P.G.B.T. Colleges.

A perusal of your office endt.No.Set-up-1962-Misc.21, dated 9-11-62 enclosing distribution of the staff provided in new set up vide annexure 'C' is requested.

Following posts under different class and categories have been sanctioned for the Govt.P.G.B.T.Coll-ge, Bilaspur but revised scales of pay applicable could not be clearly known from the records available in this office.

- (A) Class III-Teachers  
and  
Instructors .. 4
- (B) Class III-Ministerial --
  - Librarian 1
  - Headclerk 1
  - Laboratory Attendant 2

I shall be grateful if revised scale of pay applicable to each post is early communicated. It may kindly be further elucidated if appointments of suitable candidates available should be effected presuming that there exists necessary provision in the Budget or necessary supplementary provision could be made thereafter.

above